भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न स. 4112

उत्तर देने की तारीख 19.12.2024

विनिर्माण उद्योग

4112. श्री देवेश चन्द्र ठाकुरः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विनिर्माण उद्योग स्थापित करने के लिए कोई जागरूकता अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां अब तक ऐसे उद्योग स्थापित किए गए हैं और इनमें कितने लोगों को रोजगार मिला है; और

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बिहार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की स्थापना के लिए उद्यमियों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): एमएसएमई मंत्रालय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में उद्यमियों की सहायता हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमईजीपी के अंतर्गत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछडे वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, ट्रांसजेंडरों, आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि जैसे विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए, मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है। विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत 50 लाख रु. और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रु. है।

वर्ष 2018-19 से, मौजूदा पीएमईजीपी/मुद्रा उद्यमों को उन्नयन और विस्तार के लिए द्वित्तीय ऋण के साथ विगत अच्छे कार्य-निष्पादन के आधार पर सहायता भी प्रदान की जा रही है। द्वित्तीय ऋण के अंतर्गत, विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के लिए स्वीकार्य अधिकतम परियोजना लागत 1.00 करोड़ रु. है और सेवा क्षेत्र के लिए 25 लाख रु. है। सभी श्रेणियों के लिए द्वित्तीय ऋण पर पात्र सब्सिडी परियोजना लागत का 15% (पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के लिए 20%) है।

सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में भावी लाभार्थियों के बीच पीएमईजीपी के अंतर्गत विनिर्माण इकाइयों सहित नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु जागरूकता सृजित करने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. पिछड़े और कम कार्य-निष्पादन करने वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम।
ii. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पीएमईजीपी स्कीम का प्रचार-प्रसार।

iii. युवा और भावी उद्यमियों के बीच जागरूकता सृजित करने के लिए प्रत्येक रविवार को सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए विभिन्न गतिविधियों पर वेबिनार आयोजित किए जाते हैं।

iv. स्कीम के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में रेडियो जिंगल बनाए गए हैं।

v. जनवरी 2024 से 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भावी लाभार्थियों से पीएमईजीपी आवेदन।

(ख): पीएमईजीपी के अंतर्गत शुरुआत से अर्थात, वर्ष 2008-09 से सहायता-प्राप्त इकाइयों की संख्या और अनुमानित सृजित रोजगार का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग): विगत तीन वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत बिहार राज्य में उद्यमियों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	**सहायता-प्राप्त इकाइयों की संख्या**	**मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रु. में)**
वित्तीय वर्ष 2021-22	2,477	81.70
वित्तीय वर्ष 2022-23	4,459	121.23
वित्तीय वर्ष 2023-24	6,837	191.76

*****

अनुबंध-I

दिनांक 19.12.2024 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4112 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2008-09 से 2024-25 के दौरान पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र-वार कार्य-निष्पादन:

वर्ष	सहायता-प्राप्त इकाइयों की संख्या			अनुमानित सृजित रोजगार		
	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
2008-09	15333	3833	19166	163798	40949	204747
2009-10	32734	8184	40918	339986	84996	424982
2010-11	39251	9813	49064	384490	96123	480613
2011-12	39437	15698	55135	361255	134269	495523
2012-13	42356	15477	57884	314982	113264	428246
2013-14	40786	9707	50493	314948	68773	378907
2014-15	40478	7690	48168	304132	53370	357502
2015-16	35658	8682	44340	261103	62259	323362
2016-17	42834	10078	52912	334408	73432	407840
2017-18	39543	8759	48398	316344	70072	387184
2018-19	60323	13104	73427	482584	104832	587416
2019-20	53714	12939	66653	429712	103512	533224
2020-21	60761	13654	74415	486091	109229	595320
2021-22	84696	18523	103219	677568	148184	825752
2022-23	68470	16697	85167	547760	133576	681336
2023-24	68939	20179	89118	551512	161432	712944
2024-25*	23155	5341	28496	185240	42728	227968
कुल	**7,88,468**	**1,98,358**	**9,86,973**	**64,55,913**	**16,01,000**	**80,52,866**

*(दिनांक 12.12.2024 की स्थिति के अनुसार)